**झारखण्ड सरकार**

## उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस कैम्पस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

# संकल्प

**विषयः झारखण्ड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना" को लागू करने के संबंध में।**

झारखण्ड सरकार राज्य के सभी वर्गों के छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दृढ़संकल्पित है। जिस हेतु उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड स्तर पर विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसी क्रम में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु "वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना" लागू किया जा रहा है।

**1. योजना के उद्देश्य**

समाज के सबसे वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने और भारत के संविधान के तहत परिकल्पित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना प्रस्तावित कर रही है। यह योजना अनाथ और दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जो उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाएगी। इस योजना द्वारा अनाथ और दिव्यांग छात्रों को आगे की पढ़ाई करने और शिक्षा के माध्यम से एक सफल भविष्य की तैयारी करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

**2. योजना के घटक**

क. पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क छात्रवृत्ति : पात्रता मापदण्डों को पूरा करने वाले छात्रों के लिए, राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के रूप में पूर्ण Tuition Fees का भुगतान किया जायेगा। छात्रावास शुल्क, मेस फीस या अन्य किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा। Tuition Fees की अधिकतम सीमा रू0 10 लाख प्रतिवर्ष होगी। यदि Tuition Fees रू0 10 लाख से अधिक होगी, तो शेष Tuition Fees का वहन विद्यार्थी स्वयं करेंगे।

ख. दैनिक उपभोग, अध्ययन सामाग्री इत्यादि के लिए सहायता राशि (Sustenance Allowance): सभी छात्रों को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकित छात्रों के लिए प्रति माह 4,000/– रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महीने के मध्य में कक्षाएं प्रारंभ होने या कक्षाएं समाप्त होने की स्थिति में भी उस माह के लिए 4,000/– रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

**3. पात्रता मापदण्ड**

क. झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा)।

अथवा

डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु छात्र को झारखण्ड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अथवा

डिग्री अथवा उसके ऊपर स्तर के पाठ्यक्रगों में अध्ययन हेतु छात्र को झारखण्ड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं (अथवा समकक्ष) उत्तीर्ण होना चाहिए।

ख. आवेदन की अंतिम तिथि तक छात्र की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु किसी कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थी संबंधित कोर्स की समाप्ति तक इस योजनान्तर्गत लाभ के पात्र बने रहेंगे। आयु की गणना 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

ग. झारखण्ड राज्य के भीतर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित छात्र।

अथवा

राज्य के बाहर किन्तु देश के अंदर–NIRF Rankings की अद्यतन रैंकिंग में Overall Category में शीर्ष 200 में रैंक वाले अथवा विश्वविद्यालय, अभियंत्रण, मेडिकल, विधि, प्रबंधन, फार्मेसी Category में NIRF रैंक के शीर्ष 100 रैंक वाले उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित होना चाहिए अथवा NAAC Accreditation में मान्यता प्राप्त ग्रेड 'A' या उससे ऊपर वाले उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी Institutes of National Importance, Institutions of Eminence, National Institutes of Fashion Technology, National Institutes of Design (NID), Institutes of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

*"उच्च शिक्षा संस्थान" का अर्थ राज्य सरकार या केंद्र सरकार या ऐसे विश्वविद्यालयों के संघटक/संबद्ध कॉलेजों के किसी भी अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय या संस्थान होगा, जो कम से कम 1 वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि की सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं।*

घ. छात्र को AICTE की ट्यूशन फीस माफी योजना के तहत प्रवेश प्राप्त नहीं होना चाहिए या केंद्र/राज्य सरकार या विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्वायत्त निकायों या किसी अन्य संगठन/संस्थान के किसी भी योजना का वर्त्तमान लाभार्थी नहीं होना चाहिए। यदि विद्यार्थी को पूर्व से किसी योजनान्तर्गत या स्रोत्र से ट्यूशन फीस माफी अथवा सहायता राशि (Sustenance Allowance) का लाभ मिल रहा हो, तो उन्हें किसी एक ही स्रोत्र से योजना का लाभ दिया जायेगा।

ङ. निम्न पात्रता में से कोई एक–

**(i) अनाथ छात्रों के लिए–**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खण्ड 42 के तहत परिभाषित अनाथ, जिनकी 18 वर्ष की आयु से पहले उनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी हो। तथापि विधिक संरक्षक की देखरेख में अनाथ योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।

आवेदक द्वारा माता–पिता दोनों का Valid Death Certificate और माता–पिता एवं बच्चे के बीच संबंध स्थापित करने संबंधी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

**(ii) दिव्यांग छात्रों के लिए–**

Rights of Persons with Disability Act, 2016 की धारा–2(r) के अनुसार विद्यार्थी को "बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति" होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र/विशिष्ट विकलांगता पहचान दस्तावेज (Unique Disability ID Card) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के सहयोग से सत्यापित किया जाएगा।

च. इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार दिया जायेगा।

**4. लाभार्थियों की संख्या**

संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

**5. आवेदन के लिए प्रक्रिया**

इस योजना के लिए आवेदन वेब–पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। वेब–पोर्टल का निर्माण Jharkhand Space Application Centre (JSAC) के द्वारा किया जायेगा। वेब–पोर्टल को झारखण्ड के राज्य डेटा सेंटर या MeiTY empanelled Cloud सेवा प्रदाता में होस्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन, सत्यापन, शिकायत निवारण, अनुश्रवण आदि सभी व्यवस्था होगी।

**6. योजना का लाभ**

योजना का लाभ के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन किया जायेगा।

**7. Nodal Disbursement Bank**

वित्त विभाग, झारखण्ड की सहमति से उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के बैंक को Nodal Disbursement Bank के रूप में नामित किया जाएगा। उक्त नामित Nodal Disbursement Bank योजना हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित निधि धारण करेगा।

**8. योजना का अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार**

योजना का अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार इस प्रकार है:–

| क्र. | शिक्षा कार्यक्रम का प्रकार | अनुमानित लाभार्थियों की संख्या | अनुमानित औसतन वार्षिक सहायता राशि | अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे डिप्लोमा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ | 1,200 | 2,00,000 | 24,00,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/प्रबंधन, विधि/M.Ed./B.Ed. in Special Education/Fine Arts इत्यादि में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम या अन्य उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम | | | |
| 2 | गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और 1 या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम या इसी तरह के अन्य उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम | 12,000 | 10,000 | 12,00,00,000 |
| 3 | निर्वाह भत्ता @48000 रूपये प्रतिवर्ष | 13,200 | 48,000 | 63,36,00,000 |
| 4 | वेब पोर्टल का विकास तथा Maintenance, Audit, अनुश्रवण व्यय एवं आकस्मिक निधि | | | 30,00,000 |
| | | | कुल राशि | **99,66,00,000** |

चार वर्षीय व्यवसायिक. कोर्स में 300 नये नामांकन अर्थात कुल 1200 लाभुक तथा चार वर्षीय गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स में 4000 नये नामांकन अर्थात 16000 लाभुकों की अनुमानित संख्या के आधार पर वित्तीय भार का प्राक्कलन किया गया है। तालिका में उपर्युक्त अनुमान मात्र सांकेतिक प्रकृति का है और केवल बजटीय उद्देश्यों के लिए किया गया है। वास्तविक व्यय हर साल छात्रों की वास्तविक संख्या, छात्रों की वास्तविक Tuition Fees और Sustenance Allowance के आधार पर किया जाएगा।

उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार आकस्मिक निधि का उपयोग Project Monitoring Unit की स्थापना के लिए, बाहरी सलाहकारों की नियुक्ति, फर्नीचर की खरीद, आईटी समाधान, योजना के प्रचार, Audit आदि योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विविध कार्यों के लिए किया जाएगा।

**9. योजना का अनुश्रवन एवं क्रियान्वयन**

(क) झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद इस योजना के लिए निगरानी और क्रियान्वयन प्राधिकरण होगा। इस योजना का सुचारू क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी:-

| | |
|---|---|
| निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड | अध्यक्ष |
| निदेशक, सामाजिक सुरक्षा | सदस्य |
| निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड | सदस्य |
| वित्त विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (अवर सचिव से अन्यून) | सदस्य |
| कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि (अवर सचिव से अन्यून) | सदस्य |
| महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि (अवर सचिव से अन्यून) | सदस्य |
| उप निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड | सदस्य सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी |
| विशेष आमंत्रित सदस्य-अध्यक्ष द्वारा यथा निर्देशित | |

योजना की प्रगति की निगरानी करने और योजना के सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किए जाने पर प्रत्येक तीन माह पर अथवा जब भी आवश्यक हो समिति की बैठक बुलाई जा सकेगी। योजना का प्रगति प्रतिवेदन उच्च स्तरीय समिति के

द्वारा तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक छः माह में झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के समक्ष रखा जायेगा। नोडल पदाधिकारी के द्वारा योजना हेतु विभिन्न Stakeholders के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा। योजना के अनुश्रवण हेतु Project Monitoring Unit का गठन नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा।

(ख) उच्च स्तरीय समिति की शक्तियां और कार्य निम्नलिखित हैं:–

i. योजना की समग्र प्रगति की निगरानी करना।

ii. पात्रता दस्तावेजों को मंजूरी देने के लिए SoP (Standard Operating Procedure), DCF (Data Capture Formats), Process Flows, संस्था के प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के कार्यात्मक आवश्यकताएं प्रारूप, लाभुकों के सत्यापन हेतु सभी प्रकार के Format आदि निर्धारित करना।

iii. वेब पोर्टल की सुरक्षा Audit सुनिश्चित करना।

iv. योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निधि का विश्लेषण करना।

v. योजना के लिए हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के रूप में financial and disbursement authority नियुक्त करना।

vi. योजना से संबंधित manpower, technological and hardware आवश्यकताओं पर विचार–विमर्श करना, अनुमोदन करना और प्राप्त करना।

vii. योजना के तहत नए लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि या कमी करना।

viii. योजना के पात्रता मापदण्ड, संवर्ग विशिष्ट अतिरिक्त शर्तों, नवीनीकरण के लिए मापदण्ड या योजना के किसी अन्य प्रावधान को संशोधित करने हेतु अनुशंसा करना।

ix. हर साल नए आवेदन और नवीनीकरण प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल की आवेदन विंडो के लिए तारीखों को notify/alter/modify करना।

x. Nodal Disbursement Bank के बैंक खाते में निधि से संबंधित निर्णय लेना।

xi. National Institutional Ranking Framework (NIRF), NAAC आदि पर विचार करते हुए योजना के तहत लाभ के लिए पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की सूची तैयार करना।

xii. योजना के क्रियान्वयन के लिए Nodal Disbursement Bank के चयन की प्रक्रिया तय करते हुए चयन करना।

xiii. Nodal Disbursement Bank पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित निर्णय लेना।

xiv. योजना के सुचारू के लिए योजना की आवंटित निधि तथा आकस्मिकता निधि का उपयोग करना।

xv. व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कॉलेजों के तहत कवर किए जाने वाले पाठ्यक्रमों पर निर्णय लेना।

xvi. सभी स्तर पर आवेदनों का सत्यापन एवं आवेदन के Processing हेतु Timeline निर्धारित करना।

xvii. योजना के लाभार्थियों और आवेदकों को शिकायत निवारण प्रदान करना।

xviii. योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

xix. योजना के सुचारू क्रियान्वयन और कामकाज से संबंधित कोई अन्य आवश्यक निर्णय लेना।

(ग) जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति–उपायुक्त की अध्यक्षता में योजना के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी–

| | |
|---|---|
| उपायुक्त | अध्यक्ष |
| उप–विकास आयुक्त | सदस्य |
| सिविल सर्जन | सदस्य |
| जिला समाज कल्याण पदाधिकारी | सदस्य सचिव |
| जिला शिक्षा पदाधिकारी | सदस्य |

उक्त समिति के द्वारा सभी आवेदनों का ससमय निष्पादन हेतु Regular अनुश्रवण किया जायेगा। जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के सभी प्रतिवेदन योजना के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। नोडल पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के सभी प्रतिवेदन तथा योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों से उच्च स्तरीय समिति को अवगत कराया जायेगा।

**10. नवीनीकरण (Renewal)**

(क) संस्थान के प्रमाण पत्र के आधार पर समर्पित वेब–पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण अनुरोध प्राप्त होने पर अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जाएगा।

(ख) अगले किसी भी स्तर पर Promote होने में विफल रहने वाले छात्र या जो समय पर छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, वे इस योजना के लाभ की पात्रता से वंचित हो जायेंगे।

छात्र को अगले वर्ष में Promote होना अनिवार्य होगा और योजना के तहत लाभों के सफल नवीनीकरण के लिए पूर्ववर्ती वर्ष की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। Sustenance Allowance का लाभ भी अगले वर्ष में Promote होने पर ही दिया जायेगा।

**11. Tuition Fees और Sustenance Allowance का भुगतान**

Tuition Fees का भुगतान सीधे संबंधित संस्थानों को किया जायेगा। Sustenance Allowance का भुगतान छात्र को Direct Benefit Transfer मोड के रूप में किया जाएगा। यदि वार्षिक Tuition Fees रू0 10 लाख से अधिक है, तो उक्त अतिरिक्त Tuition Fees का भुगतान करने के उपरांत ही सरकार के द्वारा रू0 10 लाख तक Tuition Fees का भुगतान संस्थान को किया जायेगा। आवेदकों के द्वारा अपने शैक्षणिक संस्थान से Tuition Fees की विवरणी प्राप्त करते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

**12. गलत सूचना अथवा प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेने पर दण्ड**

यदि किसी आवेदक/आवेदिका द्वारा गलत सूचना अथवा गलत प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने की बात प्रमाणित होती है, तो ऐसे आवेदक को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जायेगा

और यदि उसने लाभ उठा लिया है, तो ऐसे आवेदक से 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पूर्ण राशि की वसूली की जायेगी।

**13. संशोधन करने की शक्ति**

योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से योजना के किसी भी प्रावधान को इस तरह से संशोधित किया जा सकेगा कि यह योजना के उद्देश्यों का उल्लंघन नहीं करता है। योजना अन्तर्गत पात्रता के मानदण्ड, Tuition Fess की अधिकतम सीमा तथा Sustenance Allowance की राशि को छोड़कर शेष सभी प्रावधानों को उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकेगा।

**14. Audit की व्यवस्था**

योजना के Concurrent Audit की व्यवस्था की जाएगी तथा विस्तृत रिपोर्ट उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखी जाएगी। उच्च स्तरीय समिति इन रिपोर्टों का विश्लेषण करेगी और भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। Auditor का चयन उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया जायेगा।

**15. Grievances Redressal की व्यवस्था**

योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदकों के लिए Grievances Redressal की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवन निदेशक, उच्च शिक्षा एवं निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय समिति के द्वारा Grievances Redressal हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

**16. योजना के लिए जागरूकता कार्यक्रम**

योजना में उच्च भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम निर्धारित करने की जिम्मेवारी उच्च स्तरीय समिति की होगी।

**17. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व**

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (डीएसडब्ल्यू) आवेदकों के लिए योजनान्तर्गत विशिष्ट पात्रता मापदण्डों की पुष्टि करने के लिए नामित पदाधिकारी होंगे। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैंः–

**(1) अनाथ श्रेणी के लिएः–**

यह अनाथ श्रेणी के तहत आवेदकों की पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे।

(2) अनाथ श्रेणी के आवेदकों का सत्यापन दो भागों में किया जाएगाः–

i. दस्तावेज सत्यापन

(क) आवेदक के माता एवं पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन।

(ख) आवेदक और उसके मृत माता–पिता के बीच माता–पिता एवं बच्चे के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को सत्यापित करेंगे।

(ग) माता–पिता एवं बच्चे के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है: –

i. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड
ii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जन्म प्रमाण पत्र
iii. आधार कार्ड
iv. कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र
v. राशन कार्ड
vi. पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र
vii. राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य वैध दस्तावेज

ii. क्षेत्र सत्यापन

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आवश्यकतानुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सेविका या अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से आवेदक के पात्रता दस्तावेजों का क्षेत्र सत्यापन किया जाएगा।

(3) **दिव्यांग श्रेणी के लिए:–**

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के सहयोग से दिव्यांग आवेदकों के लिए जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान दस्तावेज (Unique Disability ID Card) को सत्यापित किया जाएगा।

(4) जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा अन्य सभी दस्तावेज जैसे–स्थानीयता प्रमाण पत्र, आयु, 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन करते हुए आवेदन अग्रसारित किया जायेगा।

(5) सभी संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एक पंजी का संधारण करेंगे। जिसमें अनाथ श्रेणी के आवेदकों, जिनका आवेदन अग्रसारित किया जायेगा, की विवरणी संधारित की जायेगी।

(6) उक्त पंजी का संधारण हेतु Format एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु Checklist एवं Format योजना के उच्च स्तरीय समिति द्वारा जारी किया जायेगा।

**18.** उक्त योजना हेतु अनुमानित राशि रूपये 99.66 करोड़ प्रतिवर्ष का विकलन राज्य स्कीम बजट अंतर्गत निम्नांकित शीर्ष–

**(क) मांग संख्या–21–**

मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष 102/796–विश्वविद्यालयों को सहायता/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष –BR–उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप/फेलोशिप योजना हेतु सहायता अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान से विकलनीय होगा।

**(ख)** उक्त मद से योजना की राशि झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी। झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार

तथा योजना के उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर Nodal Disbursement Bank को राशि उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत लाभुकों तथा संस्थानों के खाते में राशि के अंतरण हेतु उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी को नामित किया जायेगा। उक्त नामित पदाधिकारी के अनुमोदन से Nodal Disbursement Bank के द्वारा राशि, संबंधित लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।

**19.** प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–14.10.2024 में मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

**आदेशः**–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

14.10.24

**(राहुल कुमार पुरवार)**
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/यो0 (नीति)–01/2024– 1608 /राँची, दिनांक– 14/10/2024

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14.10.24
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/यो0 (नीति)–01/2024– 1608 /राँची, दिनांक– 14/10/2024

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रांची/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/उप कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

14.10.24
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/यो0 (नीति)–01/2024– 1608 /राँची, दिनांक– 14/10/2024

प्रतिलिपि–झारखण्ड राज्य के माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के अपर मुख्य सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

14.10.24
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/यो0 (नीति)–01/2024– 1608 /राँची, दिनांक– 14/10/2024

प्रतिलिपि–विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/सभी उपायुक्त/सभी उप–विकास आयुक्त/सभी सिविल सर्जन/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारीय/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड/कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची/विभागीय बजट शाखा/निदेशक/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, झारखण्ड/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान झारखण्ड/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/श्री कुमार चन्दन, MIS पदाधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14.10.24
सरकार के प्रधान सचिव।